

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास- डॉ0. राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

हनुमान सहाय पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति जाट निवासी केरा की ढाणी चतुर्भुजपुरा तह0 निवाई जिला टोंक।

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

-:घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती :-

मुकदमा नं0 - 03/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 83 के आराजी खसरा नम्बर 341/594 रकबा 40 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन कानाराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर हनुमान सहाय पुत्र रामेश्वर प्रसाद दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते हैं एवं वादी को अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा
इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख
अदायगी तक..... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/09/2019 को जारी की गई।



दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
आहदी (जयपुर)

	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
म अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
म वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
म वजह सबूत			महन्ताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहान		
म गवाहान			फीस कमीशनर		
म कमीशनर			बबत इजराय हुक्मनामा		
म इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
फरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी